Co- Operative Cattle Feed Factory

88-89, Industrial Area Jhotwara, Jaipur (Rajasthan),

Tel : 0141-2341324-2343549
Fax : 0141-2340182
E-Mail : Cattlefeedfactory@Gmail.com

TECHNICAL BID
LABOUR CONTRACT

FOR

Production of Cattle feed, Loding , Unloding and other Plant work. Co-operative Cattle Feed Factory, Jhotwara Jaipur.(Rajasthan)

during the year 2017-18

Estimated cost Rs. 30.00 lac

Head Office:- Office of the Managing Director,
Rajasthan State Cooperative Marketing Federation Ltd
4, Bhawani Singh Road, Jaipur.

सहकारी पशु आहार फैक्ट्री
88, औद्योगिक क्षेत्र झोटवाडा, जयपुर
E-Mail : Cattlefeedfactory@Gmail.com.

सहकारी पशु आहार फैक्ट्री
88, औद्योगिक क्षेत्र झोटवाडा, जयपुर

फोन नम्बर : 0141–2343549–2341324 फैक्स नम्बर 0141–2340182

ईमेलः **E-Mail : Cattlefeedfactory@Gmail.com.**

निविदा का नाम

पशुआहार का उत्पादन, लोडिंग–अनलोडिंग व अन्य सम्बन्धित कार्य

COOPERATIVE CATTLE FEED FACTORY

88-89, INDUSTRIAL AREA, JHOTWARA, JAIPUR (Raj.)

Tel : 0141-2341324-2343549
Fax : 0141-2340182
E-Mail : Cattlefeedfactory@Gmail.com

INDEX

S.No	Particulars	Page Number
1	NIT	01
2	BID CIRCULAR	02
3	Particular of Bidder	03
4	General Instraction to bidders	04-06
5	Term & Condition of bid	07 - 09

सहकारी पशु आहार फैक्ट्री

88–89, इण्डस्ट्रियल एरिया, झोटवाडा, जयपुर

Tel : 0141-2341324-2343549
Fax : 0141-2340182
E-Mail :
Cattlefeedfactory@Gmail.com

श्रमिक ठेका
ई–निविदा सूचना संख्या 6701–6702 / 2017–18

वित्तीय वर्ष 2017–18 में सहकारी पशुआहार फैक्ट्री झोटवाडा, जयपुर द्वारा उत्पादित पशुआहार के उत्पादन, लोडिंग–अनलोडिंग व सम्बन्धित अन्य कार्य करने के लिए श्रमिक ठेका हेतु ई–निविदा आमन्त्रित की जाती है। ई–निविदा अपलोडिंग की अन्तिम तिथि 15.05.2017 है। विवरण दिनांक 07.04.2017 से राजफैड की वेबसाईट **Rajfed.gov.in** एवं राज्य सरकार की वेबसाईट **eproc.rajasthan.gov.in** तथा **SPPP.rajasthan.gov.in** पर देखे। संशोधन / शुद्धि पत्र भी इसी वेबसाईट पर दिया जावेगा।

महाप्रबन्धक(फैक्ट्री)

सहकारी पशु आहार फैक्ट्री

88–89, औद्योगिक क्षैत्र झोटवाडा, जयपुर (राज0)
E-Mail : Cattlefeedfactory@Gmail.com.

तकनीकि बिड् हेतु निर्देश

श्रमिक ठेका वर्ष 2017–2018

कार्य का नाम : वर्ष 2017–18 में पशुआहार फैक्ट्री संयत्र में श्रमिक कार्य हेतु ठेका।
नियोक्ता का नाम : प्रबन्ध संचालक, राजस्थान राज्य सहकारी क्रय विक्रय संघ लि0, जयपुर

1. बोली का विस्तृत विवरण :

S.No	Item	Details
1	कार्य की अनुमानित लागत	30.00 लाख रू
2	बोली प्रतिभूति राशि (Bid Security)	0.60 लाख रू.
3	बोली दस्तावेज शुल्क प्रोसेसिंग फीस	1,000 रू.
4	कार्यावधि	12 माह
5	बोली दस्तावेज अपलोडिंग की अन्तिम तिथि	दिनांक 15.05.2017 को प्रातः 11.30 बजे तक
6	तकनिकी बिड् खोलने की तिथि एवं समय	दिनांक 15.05.2017 को अपरान्ह 2.00 बजे
7	तकनिकी बिड् खोलने का स्थान	सहकारी पशुआहार फैक्ट्री झोटवाडा जयपुर
8	वित्तीय बिड् खोलने की तिथि एवं समय	दिनांक 17.05.2017 को अपरान्ह 2.30 बजे
9	कार्यादेश जारी करने का संभावित अवधि	एक माह
10	बोली की वैद्यता	तकनिकी बिड खोलने के 90 दिवस तक

सहकारी पशुआहार फैक्ट्री

(ईकाईः– राजस्थान राज्य सहकारी कय विकय संध लि0,)
88, औधोगिक क्षेत्र, झोटवाडा, जयपुर–302012

दूरभाष संख्या –0141–2341324, 2343549 फैक्स नः–0141–2340182

कमांक सी / सी / एफ / 2017–18 दिंनाक

<u>ठेकेदार की फर्म का विवरण एवं कार्यानुभव</u>

1.	बोलीदाता का नामः–	
2.	बोलीदाता का पताः–	
3.	बोलीदाता का दूरभाष न.	कार्यालयः– मोबाईलः–
4.	बोलीदाता का पैन न.	
5.	बोलीदाता का सर्विस टेक्स नं.	
6.	बोलीदाता द्वारा पशु आहार प्लांट / एफ.सी.ई.आई. / वेयर हाउस / अन्य भण्डारग्रहों में लोडिंग अनलोडिग के कार्य करने का अनुभव (प्रमाण पत्र संलग्न करे)	
7.	धरोहर राशि का डिमाण्ड ड्राफ्ट बैकर्स चैक का विवरण (जो की सहकारी पशुआहार फैक्ट्री जयपुर पर भुगतान देय होगा)	रसीद सं. दिनांक राशि
8.	आवेदन शुल्क भुगतान का विरण जो की नगद अथवा डिमाण्ड ड्राफ्ट द्वारा राशि जमा कराकर सहकारी पशुआहार फैक्ट्री कार्यालय से कार्यालय समय में प्राप्त किया जा सकता है।	रसीद सं. / डी.डी.नं. दिनांक राशि

मै/हम घोषणा करते है कि निविदा सूचना संख्या दिनांक जो कि महाप्रबन्धक, सहकारी पशुआहार फैक्ट्री जयपुर द्वारा जारी की गई है में वर्णित समस्त शर्ते, मैने/हमने पढ ली है, तथा उन शर्तो से हम पूर्णतयाः सहमत है, जिसके प्रतीक स्वरूप हमने समस्त पृष्ठों पर हस्ताक्षर कर दिये है। उनके पालन करने के लिए सहमत है।

बोलीदाता के हस्ताखर पूरा नाम व डाक का पूर्ण
पता मय टेलीफोन

नम्बर एवं हैसियत इत्यादि

सहकारी पशु आहार फैक्ट्री

88–89, औद्योगिक क्षैत्र झोटवाडा, जयपुर (राज0)
E-Mail : Cattlefeedfactory@Gmail.com.

(श्रमिक सम्बन्धी कार्य (पशु आहार उत्पादन, पैकिंग, स्टेकिंग एवं लोडिंग इत्यादि)
ठेकेदार द्वारा किये जाने वाले मुख्य कार्य एंव आवश्यक निर्देश

1. कच्चा माल को गोदाम में लाकर तोलकर बैच बनाना, तैयार माल को कट्टों में भरना, मशीन से सिलाई कर गोदाम में 18 घांग तक चट्टे लगाकर रखना।
2. कच्चे माल को ट्रक से उतारकर गोदाम में स्टेक लगाकर रखना, माल का सेम्पल लेना, कच्चा माल ट्रक से उतारते समय बिखरा हुआ माल बोरियों में भरकर स्टेक लगाकर रखना।
3. पक्के माल के कट्टों को ट्रक में भरना; (लोडिंग कार्य)
4. गोदाम में चट्टे पलटना
5. खाली बोरियों के बण्डल, 50 बोरी प्रति बण्डल बांधना एंव कच्चे माल गोदाम में रखना एंव बंधे हुए बण्डलों को अन्य गोदामों में शिफ्ट करना।
6. पूरे प्लांट की सफाई पैलेट मिल के पास बिखरा हुआ माल भरकर मिक्चर मशीन में डालना तथा पैलेट सीव के पास बिखरा हुआ माल बोरियों में भरकर इन्टेक कन्वेयर में डालना प्रत्येक मंजिल पर लोहे के चैनल समेत समस्त सफाई करने हेतु प्रत्येक दिन दो मजदूर शिफ्ट सुपरवाईजर/ऑपरेटर को उपलब्ध कराना।
7. प्लांट में बनी होदियों को ऐलीवेटर के पास तथा एक कन्वेयर; इन्टेक सेक्शन की होदियों की सफाई महीने में कम से कम चार बार करवाना एंव होदी से निकले गये कच्चे माल को गाले में डालना। प्रत्येक सप्ताह होदी साफ कर सुपरवाईजर/ऑपरेटर/स्टोर प्रबन्धक को अवगत कराना।
8. प्लांट में विद्युत मोटर अथवा दूसरी मशीन अथवा मशीन का कोई पार्ट नीचे की मंजिल से किसी भी अन्य मंजिल अथवा किसी भी मंजिल से अन्य मंजिल तक नीचे मंजिल तक पहुचाना।
9. नये कट्टों के बण्डल व गाठें ट्रक से उतारना व गोदाम में रखना
10. सयंत्र की आवश्यक्तानुसार दैनिक वेतन पर श्रमिक उपलब्ध करवाना, उनसे कार्य कराना व सम्बन्धित इन्चार्ज से प्रमाण पत्र प्राप्त करना।
11. पारी प्रभारी/इंजीनियर के निर्देशानुसार समय–समय पर कट्टे तुलवाना। अगर माल खराब बनता हैं तो पारी प्रभारी/इंजीनियर के निर्देशानुसार उसे पुनः एडिटिंग होपर में डालना होगा।
12. कॉटे के वजन पर बराबर नजर रखना एवं अन्तर आने पर पारी प्रभारी/इंजीनियर

को सूचित करना।

13. बैगिंग एवं सिलाई कार्य के लिये केवल कुशल श्रमिक ही लगाना होगा।
14. सिलाई मशीन में नियमित रूप से तेल देना एंव उसका समुचित रख रखाव ठेकेदार के कार्य क्षेत्र में होगा।
15. स्टोर ऑफिसर/सिक्योरिटी इंचार्ज के निर्देशानुसार ट्रक एवं अन्य वाहन लोडिंग करना।

16. सायं 5:00 बजे तक पहुँचा हुआ ट्रक/वाहन पर्याप्त तैयार माल उपलब्ध होने के उपरान्त भी यदि समय पर लोड नहीं होता हैं तो ठेकेदार पर रू. 500/– की शास्ति लगाकर ट्रक वाले को भुगतान किया जावेगा।
17. कन्वेयर बेल्ट/चैन से बैग की डायरेक्ट लोडिंग करना ठेकेदार का अधिकार नहीं होगा। आवश्यक होने पर केवल व्यवस्थापक/इंजीनियर/पारी प्रभारी की अनुमति से ही इस प्रकार लोडिंग की जा सकेगी।
18. उत्पादन एवं लोडिंग कार्य न होने पर ठेकेदार के श्रमिकों से अनय कार्य भी करवाया जा सकेगा जिसका भुगतान ठेकेदार को वाजिब रेट देकर किया जावेगा।
19. लोडिंग के समय बैग पर खूंटी/हुक लगाना मना रहेगा। खूॅटी/हुक लगाते पाये जाने पर ठेकेदार पर शास्ति लगाने को प्रावधान होगा जो कि प्रबन्धन के विवेक पर निर्भर रहेगा।
20. चट्टे सही ढग से नहीं लगाने पर ठेकेदार पर शास्ति का प्रावधान होगा।
21. समय पर लोडिंग न होने पर बाहर से श्रमिक मंगाकर लोडिंग का कार्य करवाया जावेगा तथा अन्तर की राशि के भुगतान की वसूली ठेकेदार से की जावेगी।
22. बैगिंग मशीन एवं पेलेट कूलर के पास माल फैलने की दशा में माल कट्टों में भरकर तोलना एवं आवश्यकता होने पर उसे इन्टेक कन्वेयर में डालने का काम ठेकेदार का होगा।
23. बोली दस्तावेज शुल्क राशि 1000.00 रू. एवं बोली प्रतिभूति (Bid Security) राशि रू. 60,000/– के भुगतान के डिमाण्ड ड्राफ्ट्स सहकारी पशुआहार फैक्ट्री के नाम जयपुर में भुगतान योग्य तथा प्रोसेगिंग फीस का डीमाण्ड ड्राफ्ट रू. 1000 का MD, RISL के नाम जयपुर में भुगतान योग्य होना चाहिए। बोली लगाने वाले को बोली दस्तावेज शुल्क एवं प्रोसेसिंगग फीस प्रतिभूति राशि का भुगतान डिमाण्ड ड्राफ्ट के माध्यम से किया जाना होगा। बोली प्रतिभूति राशि का भुगतान जिस माध्यम से किया गया है, के प्रमाण की स्कैन कॉपी तकनीकी बोली के साथ संलग्न करना आवश्यक है। तथा इनके मूल डिमाण्ड ड्राफ्ट्स इत्यादि दिनांक 17.05.2017को प्रातः 11.00 बजे तक सहकारी पशुआहार फैक्ट्री, झोटवाडा, जयपुर में व्यक्तिशःजमा कराना सुनिश्चित करें।
24. तकनिकी बिड् के साथ निम्नाक्ति दस्तावेज संलग्न करना आवश्यक है। इसके अभाव में बोलीयों पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।

(अ) बोलीदाता का नाम, पता, दूरभाष नम्बर इत्यादि का पूर्ण विवरण

(ब) बोलीदाता का पैन नं., जोकि आयकर विभाग द्वारा जारी किया गया हो फोटो प्रति

(स) एक्साईज विभाग द्वारा जारी किया गया सर्विस टैक्स नम्बर प्रमाण पत्र की फोटो कॉपी
(द) बोलीदाता द्वारा पशुआहार प्लांट में/एफ.सी.आई./वेयर हाउस/अन्य भण्डार गृहों में उत्पादन/लोडिंग एवं अनलोडिंग के कार्य करने का अनुभव(प्रमाण पत्र संलग्न करें)
(य) बिड् आवेदन शुल्क की राशि रूपये की जमा रसीद की फोटो प्रति अथवा डिमाण्ड ड्राफ्ट द्वारा भुगतान किये जाने पर ड्राफ्ट की स्कैन कॉपी संलग्न कि जावें।
(र) धरोहर राशि रू. 60000.00 का डिमाण्ड ड्राफ्ट जो कि सहकारी पशुआहार फैक्ट्री के पक्ष में जयपुर पर भुगतान योग्य हो कि फोटो प्रति

25. उपरोक्त निविदा की दरें एक वर्ष के लिए दिनांक 31.03.2018 तक वैध होगी, इसे स्वीकृत दरों पर आपसी सहमति से तीन माह तक बढाया जा सकता है।
26. भुगतान से आयकर एवं अन्य कोई कर जो भी केन्द्र/राज्य सरकार के लागू होगें की कटौती की जावेगी।
27. दर प्रति क्विण्टल के हिसाब से देनी होगी।

निविदादाता के हस्ताक्षर पूरा नाम व डाक का पूर्ण पता मय टेलीफोन नम्बर एवं हैसियत इत्यादि

सहकारी पशु आहार फैक्ट्री

88–89, औद्योगिक क्षैत्र झोटवाडा, जयपुर (राज0)
E-Mail : Cattlefeedfactory@Gmail.com.

श्रमिक ठेके की शर्ते (उत्पादन, लोडिंग–अनलोडिंग व अन्य सम्बन्धित कार्य)

01. अलग–अलग कार्य पर ठेकेदार के मजदूरों को नाम सहित लगाना होगा। उस कार्य पर वही श्रमिक कार्य करेंगे।

02. यदि मजदूरों के अभाव में कार्य में रूकावट होने पर व कार्य कुशल तरीके से नहीं होने के कारण यदि कोई उत्पादन सम्बन्धि हानि होती है तो जुर्माना/आर्थिक दण्ड जो प्रबन्धक चाहे ठेकेदार के बिल में से बिना किसी पूर्व सूचना के काट लिया जावेगा।

03. ठेकेदार स्वयं या उसके एक अधिकृत प्रतिनिधि को सयंत्र के कार्यस्थल पर उपस्थित रहना आवश्यक होगा।

04. यदि कोई मजदूर फैक्ट्री में किसी भी अधिकारीगण द्वारा दिये गये आदेशों की अवहेलना करेगा तो उसे उसी समय से कार्य से हटा दिया जावेगा।

05. सयंत्र में कार्य करते समय यदि कोई मजदूर बीमार हो जाता है या चोट लग जाती है उसकी जिम्मेदारी ठेकेदार की व्यक्तिगत होगी।

06. यदि ठेकेदार का मजदूर फैक्ट्री से कोई वस्तु बाहर ले जाते हुए पाया गया या फैक्ट्री के हितों के विरूद्ध सम्मिलित पाया गया तो उस मजदूर व ठेकेदार के विरूद्ध कार्यवाही की जावेगी।

07. कच्चे माल तथा तैयार माल के गोदाम एवं प्लांट में धुम्रपान/मदिरापान करना निषेद्ध है जिसकी पालना करनी होगी।

08. गोदाम व कार्यस्थल पर साफ–सफाई रखने की जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी।

09. श्रम अधिनियम अन्तर्गत नियमों जैसे न्यूनतम देय मजदूरी, भविष्य निधि, ई.एस.आई. एवं बोनस इत्यादि उपबन्धों/अधिनियमों का पालन करना होगा।

10. किसी भी कारणवश प्लान्ट पर उत्पादन कार्य न होने की स्थिति में सयंत्र द्वारा ठेकेदार को कोई भुगतान देय नहीं होगा।

11. ठेकेदार को प्रतिदिन किये जाने वाले कार्य का स्टोर (कच्चा व तैयार माल)/उत्पादन शाखा में इन्द्राज कराना होगा। उसी आधार पर बिलों का सत्यापन किया जावेगा।

12. ठेकेदार को उनके द्वारा रखे गये मजदूरों का हाजरी रजि. एवं भुगतान रजि. व अन्य आवश्यक रिकार्ड रखना होगा तथा उनका ई.एस.आई. व भविष्य निधि काटने, जमा कराने व उसका हिसाब रखने इत्यादि की श्रम अधिनियम के तहत् समस्त उत्तरदायित्वों के पालन की जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी। ई.एस. आई. व भविष्य निधि से सम्बन्धी कोई कार्यवाही ठेकेदार द्वारा नहीं किये जाने पर ठेकेदार स्वयं उसके हर्जाने या पेनल्टी आदि के लिये जिम्मेदार होगा। फैक्ट्री इसके लिए जिम्मेदार नहीं

होगी। ठेकेदार को ई.एस.आई. व भविष्य निधि से सम्बन्धित की जाने वाली कार्यवाही से इस कार्यालय को भी अवगत कराना होगा।

13. ठेकेदार द्वारा समुचित संख्या में अथवा कार्यकुशल श्रमिकों को उपलब्ध न कराने पर ठेकेदार की लागत पर ही अन्य व्यवस्था से कार्य करवाया जावेगा जिसकी समस्त जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी।

14. अनुबन्धित ठेकेदार को प्रत्येक माह में श्रमिक ठेका बिल 15–15 दिवस का भुगतान बावत अपना बिल कार्यालय में समय पर प्रस्तुत करना होगा।

15. यदि अनुबन्धित ठेकेदार द्वारा फैक्ट्री में लगाये गये श्रमिकों को वांछित भुगतान किसी कारणों से देने में विलम्ब हो जाता है तो श्रमिकों को उनका पूर्ण भुगतान अनुबन्धित ठेकेदार की कोस्ट एव रिस्क पर किया जावेगा जिसकी पूर्ण जिम्मेदारी अनुबन्धित ठेकेदार की होगी।

16. यदि किसी कारणों से अनुबन्धित ठेकेदार के श्रमिक कार्य करना अचानक छोड देते है तो और फैक्ट्री के उत्पादन में कोई नुकसान या कार्य में कोई बाधा उत्पन्न की जाती है उसका हर्जाना स्वयं ठेकेदार से वसूल किया जावेगा एवं उनके श्रमिकों के कार्य पर न जाने पर ठेकेदार की रिस्क एवं कोस्ट पर संस्था द्वारा दूसरी व्यवस्था करनी होगी। जिसकी पूर्ण जिम्मेदारी अनुबन्धित ठेकेदार की होगी।

17. किसी भी प्रकार का विवाद होने पर सभी प्रसंगों का न्याय क्षेत्र जयपुर होगा।

18. फैडरेशन का कोइ्र भी कर्मचारी एवं उनका कोई भी रिश्तेदार इस निविदा में भाग नही ले सकेगा।

19. अनुबन्धित ठेकेदार स्वीकृत निविदा को पूर्ण अथवा आंशिक रूप से किसी अन्य व्यक्ति को हस्तान्तरित नहीं कर सकेगा।

20. (अ) ठेकेदार का ई.एस.आई./भविष्य निधि विभाग में रजिस्ट्रेशन नहीं है उनकों निविदा आवटित होने पर एक माह के भीतर पंजीयन करवाकर पंजीयन प्रमाण पत्र की प्रति फैक्ट्री कार्यालय में प्रस्तुत करनी होगी।

(ब) जिनके पास स्वयं के सर्विस टैक्स नम्बर नहीं है उनको निविदा आवंटित होने पर उन्हें एक माह के भीतर पंजीयन करवाकर पंजीयन प्रमाण–पत्र की प्रति कार्यालय में प्रस्तुत करनी होगी।

(स) ठेकेदार के पास 20 कामगार से अधिक होने पर श्रम विभाग का पंजीकरण प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा। यदि पूर्व में श्रम विभाग में पंजीकृत नही है तो निविदा आंवटित होने की तिथि से दो माह के भीतर श्रम विभाग में पंजीकरण करवाकर प्रमाण–पत्र सयंत्र कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा।

21. आयकर की धाराओं के तहत भुगतान में से नियमानुसार आयकर की कटौती की जायेगी तथा कटौतियॉ ठेके की अवधि समाप्त होने की अवधि तक लागू रहेगी।

22. ठेकेदार द्वारा सर्विस टैक्स की राशि का सर्विस टैक्स ठेके के बिल में जोडकर अलग से दर्शाना होगा जिसका भुगतान पशुआहार सयंत्र द्वारा किया जायेगा। सर्विस टैक्स

नियमानुसार जमा करवाकर उसके चालान की प्रति अगले बिल के साथ साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत करनी अनिवार्य होगी।

23. यदि किसी कारणवश ठेकेदार ठेका बीच में छोड देता है तो उसकी धरोहर राशि को जब्त कर लिया जावेगा साथ ही उसे ब्लेक लिस्टेड (BLACK LISTED)कर दिया जावेगा।

24. कार्य संतोषजनक नहीं पाये जाने की दशा में महाप्रबन्धक सहकारी पशुआहार फैक्ट्री द्वारा तीन बार लिखित में चेतावनी पत्र दिये जाने के उपरान्त भी कार्य में सुधार नही लाया जाता है तो ठेका निरस्त करने व भविष्य में ठेके में भाग लेने पर प्रतिबन्ध लगाने का अधिकार महाप्रबन्धक सहकारी पशुआहार फैक्ट्री जयपुर का होगां।

25. ठेका अवधि समाप्त होने पर मूल रसीद कार्यालय में प्रस्तुत करने पर ही धरोहर, प्रतिभूति राशि वापस की जावेगी। रसीद के साथ कोई भी बकाया नहीं का प्रमाण–पत्र भी ठेकेदार को लगाना होगा जो कि ठेकेदार द्वारा पशुआहार सयंत्र के विभिन्न अनुभागों यथा उत्पादन/यांत्रिकी, भण्डार तकनीकि/कच्चा माल, विक्रय शाखा तथा सुरक्षा सेवा इत्यादि के प्रभारी अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित होगा।

26. ऐसे ठेकेदार जिनका पूर्व में इस प्लांट में ठेका निरस्त किया जा चुका है निविदा में भाग नहीं ले सकेगें।

27. ठेकेदार द्वारा किसी भी शर्त के उल्लंघन करने पर अथवा शर्तों के अनुसार कार्य नहीं करने पर ठेकेदार पर हर्जाना व दण्ड जो मैनजमेंट उचित समझेगा लगाने का अधिकार होगा जिसे उसके बिलों में से अथवा सिक्योरिटी/प्रतिभूति की राशि में से वसूल किया जावेगा।

28. धरोहर राशि के अतिरिक्त भुगतान की राशि के प्रत्येक बिल में से 5 प्रतिशत राशि की कटौती कर सिक्युरेटी के रूप में जमा की जावेगी जो ठेका अवधि पूर्ण होने पर

ही भुगतान किया जावेगा। धरोहर राशि एवं सिक्युरेटी राशि पर किसी प्रकार का ब्याज देय नही होगा।

29. पशुआहार सयंत्र में बैंगिंग, स्टेकिंग एवं लोडिंग के कार्य का कम से कम एक वर्ष का अनुभव होना आवश्यक है। इसका प्रमाण निविदा प्रस्तुत करते समय संलग्न करना आवश्यक होगा।

30. निविदा आवंटित होने पर ठेकेदार को रू. 500/–के नोन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर हस्ताक्षरित एवं नोटरी से प्रमाणित अनुबन्ध पत्र 15 दिवस में प्रस्तुत करना होगा अनुबन्ध पत्र का प्रारूप निविदा आवंटन के समय सयंत्र द्वारा उपलब्ध करवाया जावेगा।

निविदादाता के हस्ताक्षर पूरा
नाम व डाक का पूर्ण पता मय
टेलीफोन नम्बर एवं हैसियत
इत्यादि